तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुकदमा नम्बर– 34/2020 श्यामलाल वगै0 बनाम ओमप्रकाश वगै0 प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निशेधाज्ञा	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.09.2020	पत्रावली पेश हुई। वकील आवेदकगण व अनावेदकगण 1,2,3,व 14 उपस्थित। दोनों अधिवक्ता तैयार होने पर अस्थाई प्रार्थना पत्र पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वकील आवेदकगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि आवेदकगण व अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 13 की पैत्रिक काश्त की जमीन वाके कस्बा तेतरा राजस्व ग्राम श्योपुरा में अवस्थित है। जिसके हाल खसरा नम्बर 85 तादादी 2.17 हैक्टर व खसरा नम्बर 86 तादादी 1.90 हैक्टर है। उक्त विवादीत भूमि स्व0 भूराराम की काश्त की जमीन है। भूराराम का देहान्त काफी वर्षो पहले ही हो गया था। उक्त भूराराम का संयुक्त हिन्दु परिवार था। इस परिवार का काफी पहले स्व भूराराम था व भूराराम का देहान्त के बाद में इस संयुक्त हिन्दु परिवार का पहले स्व भूराराम था व भूराराम के देहान्त के बाद में इस संयुक्त हिन्दु का कर्का परिवार सबसे बडा पुत्र होने से उक्त सोहनराम हुए व उक्त सोहनराम ही पूरे परिवार का लालण पोषण करते थे उक्त सोहनराम की नियत में बदलाव आया व उक्त वाके राजस्व ग्राम श्योपुरा ग्राम की जमीन वर्तमान खसरा नम्बर 85 व 86 को अकेले के नाम सें राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाली। इस बात का आवेदकगण व अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 13 को कोई जानकारी नही थी। वर्तमान खसरा नम्बर 85 व 86 का आज भी तीन टुकडे है। जो एक हिस्सा 1/3 को किशन लाल के वारिसान आवेंदकगण 1 लगायत 3 व अनावेदकगण नम्बर 11 काश्त करते है। व अमरचन्द के वारिसान का हिस्सा 1/3 आवेदक संख्या 4 व अनावेदकगण 12 व 13 काबिज है। व 1/3 हिस्से को उक्त सोहनराम के वारीसान आवेदकगण नम्बर 5 व 6 व अनावेदकगण 12 व 13 काबिज है। व 1/3 हिस्से को उक्त सोहनराम के वारीसान आवेदकगण नम्बर 5 व 6 व अनावेदकगण 1 लगायत 10 काश्त करते है। व मौके पर अपने अपने 1/3 1/3 हिस्से की जमीन की सीमा कायम कर रखी है। सोहनलाल के वारिसान आवेदकगण नम्बर 5 व 6 व अनावदेगण नम्बर 1 लगायत 10 ने पुरी अपने हिस्से की जमीन को नौटेरी से बेचान की गई। जमीन पर लोगो ने एकरारनामा के आधार पर नगर पालिका मण्डावा से आवासीय पट्टे लेकर आबाद है। सोहनलाल अकेले के नाम से नामान्तरकरण 27 दिनांक 23.06.1959 की बाबत भी ग्राम पंचायत की बैठक में नही रखा गया ना ही ग्राम पंचायत कोई सुनवाई की गई। दिनांक 24.07.2020 को अनावेदक संख्या 1 लगायत 3 में अपने हिस्से का सम्पूर्ण का बेचान हिस्सा 3/15 मानकर जमीन का बेंचान अपरिचित व्यक्ति को कर दिया है जो कानूनन गलत है। बिना बंटवारा करवाये जो खातेदार नही हो उक्त व्यक्ति को जमीन का बेचान नही किया जा सकता इसलिए आवेदक का प्रथम दृष्टिया सुविधा का संतुलन व अपार क्षति का बिन्दु आवेदकगण के हक में है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अनावेदक संख्या 14 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि व विवादित भूमि खसरा नम्बर 85 व 86 पर कब्जा ना करें व ना आवेदकगण व ना अनावेदकगण 9 लगायत 13 के कब्जे काश्त में दखल ना दें व दावें के निर्णय तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। बहस के समर्थन में नजीर पेश की गई। जिसके विरूद्व में वकील अनावेदकगण संख्या 1 2 3 व 14 में अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त जमीनात स्व0 सोहनलाल के वारीसान की है। अन्य किसी का कोई हक हकूक नही है और सोहनलाल के वारिस ही इस पर काबिज काश्त है तथा तथाकथित भूमि में 1 लगायत 13 इसके शेयर होल्डर है। देवकरण के वारिस आवेदक संख्या 5 व 6 व 9,10 द्वारा अपनी कृषि भूमि को अपनी हिस्से को जवाहर पुत्र किशनलाल को विकय कर दिया। बाद एंतकाल जवाहर इस भूमि पर काबिज है। आवेदकगण संख्या 5,6,9 व 10 का इस जमीन पर कोई हक हिस्सा नही है। राजस्व ग्राम श्योपुरा में स्व भूराराम की कोई जमीन नही थी और ही संयुक्त परिवार था। सोहनलाल की व्यक्तिगत सम्पति है। भूराराम के अन्य वारिसान का इसमें कोई हक हिस्सा नही है। बेचार सम्बन्धी भी पट्टा दावें के साथ संलग्न नही है। प्रार्थना पत्र की धारा बनावटी है लेकिन यह कथन	

Scanned with CamScanner

सत्य है कि कस्बा मण्डावा में जो जमीन स्व भूराराम की कृषि भूमि थी। उक्ताधिकारी नियमों के अनुसरण में भूराराम के देहान्त के बाद उक्त जमीन उनके वारिसान के नाम अंकित हो गई है। पुराने खसरा नम्बर 38 है और बैरिशाल सिंह पानेंदार थे। बैरिशाल सिंह खातेदार नही था। नामान्तरकरण विधिवत नियमों के अनुसरण में भरा गया है व 61 वर्ष बाद इसको चुनौती दी गई है। इस तथ्य को छुपाकर न्यायालय के समक्ष क्लीन हैड नही आये है क्योकि आवेदक नम्बर 3 द्वारा क्रय की गई जमीन को आज तक किसी भी न्यायालय चैलेज नही किया गया। इसलिए अनावेदकगण को हैरेस्मेन्ट करने की नियत से नाजायज तंग व परेशान की गरम नाजायज लाभ प्राप्ति की गरम के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो प्रथम दृष्टिया खारिज योग्य होने पर मय हर्ज खर्च के खारिज करने का निवेदन किया गया है। जिसके समर्थन में नजीर पेश की है। हमने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व जवाब प्रार्थना पत्र अनावेदकगण व मौका कमिश्नर रिपोर्ट व प्रस्तुत नजीरों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। विवादित भूमि खसरा नम्बर 85 86 भूराराम का सम्बन्ध नही होना जाहिर है। सम्वत् 2012 से आज तक मुताबिक प्रस्तुत रिकार्ड पत्रावली के अनुसार सोहनलाल व उसके वारिसान का नाम राजस्व रिकार्ड से जाहिर है वादीगण द्वारा प्रस्तुत नजीर इस प्रकरण चस्पा नही होती है क्योंकि खातेदार अपना हक हिस्सा कभी भी किसी भी दिगर व्यक्ति को बेचान कर सकता है जिससें कोई कानूननी कार्यवाही से बाधित नही है। इसलिए आवेंदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र उठाया गया कथन सारहीन है तथा ना ही वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड है। उक्त सभी तथ्यों के दृष्टिगत आवेदकगण का प्रथक दृष्टिया व सुविधा का सन्तुलन तथा अपार क्षति का बिन्दु आवेदक के पक्ष में नही होना पाया जाता है। इस प्रार्थना के निस्तारण के फलस्वरूप आवेदकगण व अनावेदकगण के हक हिस्सों पर कोई भी प्रतिकुल असर नही पडता है क्योंकि मूल वाद में इसी न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जाना है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के संलग्न होकर दाखिल दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

Scanned with CamScanner